न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 42 / 2019

अपीलान्ट्स

1. भीमसिंह पुत्र खेतसिंह
2. विरेन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह
3. कानसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. डूँगरसिंह पुत्र सुजानसिंह
5. भँवरसिंह पुत्र गजेसिंह
6. कँवरराजसिंह पुत्र जवाहरसिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासीगण रामनगर, शेरगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. विशनाराम पुत्र स्वरूपाराम, निवासी – दर्जियों का बास, शेरगढ़, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत शेरगढ़ जरिये सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी पंचायत शेरगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या (आबादी भूमि का विक्रय विलेख) जो दिनांक 3.11.81 में सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री मुरलीधर बूब उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।

–आदेश – दिनांक : **20.05.2019**

प्रार्थी अभिभाषक ने यह पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या (आबादी भूमि का विक्रय विलेख) जो दिनांक 3.11.81 में सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा पंचायत निगरानी पेश करने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ग्राम सेवक दिनांक 2.4.2019 को उपस्थित हुआ। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड प्राप्त किया। ग्राम विकास

अधिकारी ग्राम पंचायत शेरगढ ने अपने पत्रांक दिनांक 1.4.2019 के जरिये अवगत कराया कि मूल मिसल संख्या 57 दिनांक 11.7.81 जो विशनाराम पुत्र स्वरूपाराम के संधारित मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 11.04.2019 को सुनी गई

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत शेरगढ़ द्वारा जारी विक्रय विलेख दिनांक 3.11.81 गलत एवं बिना किसी अधिकार के जारी किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। प्रार्थी अभिभाषक का यह भी कथन है कि विवादित भूमि खसरा नं0 758 जो गै0 मु0 ओरण की भूमि थी। ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त विक्रय विलेख के जरिये जिस 100X150 फीट की जमीन को निलामी में खरीदना बता रहा है। वह भूमि सन् 1981 में खसरा नं0 758 की 1093.18 बीघा भूमि गै0 मु0 ओरण का भाग थी। उक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो विक्रय विलेख जारी किया है वह क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जारी किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में निर्णय दिया है कि गै0 मु0 ओरण से अतिक्रमण हटाये।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1984 W. L. N. U. C. page 46 गणेश बनाम राज0 सरकार में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख गलत, गैरकानूनी एवं शून्य दस्तावेज है। इसके जरिये कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। उन्होनें यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत शेरगढ में विवादित पट्टा जारी करने की कोई पत्रावली रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने महत्वपूर्ण रिंग रोड के पास लाखों रूपये की जमीन को मात्र 211 रूपये में विक्रय करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि 100 रूपये अथवा 100 से अधिक की जमीन जायदाद केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही विक्रय की जा सकती है। विक्रय विलेख रजिस्टर्ड भी नहीं है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख की तरफ आबादी भूमि होना बताया। अप्रार्थी वीरगति को प्राप्त होने वाले हरपालसिंह भोमियाजी के स्थान को गलत एवं गैर कानूनी विक्रय विलेख के आधार पर हड़पना चाहता है। अन्त में प्रार्थी अभिभाषक ने उक्त जारी पट्टा विलेख की जानकारी 2 माह पूर्व ही हुई, इससे पूर्व नहीं थी। अतः जारी पट्टा विलेख निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस शुरू करते हुए कथन किया कि मिसल संख्या 57/11.7.81 पट्टा संख्या 27 जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक

2.10.81 को नीलामी के जरिये खरीद किया गया। पुराने अधिनियमों में भूखण्ड की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। थान की भूमि सड़क सीमा में तथा सड़क से पीछे अप्रार्थी की भूमि है इसलिये ये हमारी भूमि में थान स्थापित करना चाहते है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नं0 758 सन् 2002 में 150 बीघा भूमि आबादी आवंटन हुई। उससे पहले भूमि गै0 मु0 ओरण थी। ग्राम सेवक द्वारा पट्टा बही, रोकड़ बही व बैठक कार्यवाही रजिस्टर रेकर्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया। मूल मिसल नहीं मिलना अप्रार्थी का दोष नहीं है। मूल मिसल नहीं मिलने के आधार पर पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा शहरी क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए कथन किया गया कि ग्राम पंचायत ने महत्वपूर्ण रिंग रोड के पास लाखों रूपये की जमीन को मात्र 211 रूपये में विक्रय करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई है। यह कथन पूर्ण रूप से निरर्थक है क्योंकि पट्टा सन् 1981 में जारी किया गया उस समय उक्त जगह जंगल था। पट्टा सन् 1981 में जारी किया गया लेकिन यह जमीन प्रार्थी के लिए 2 साल पहले से ही महत्वपूर्ण हुई है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक के जवाब में प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त पट्टे में पट्टा संख्या 27 हाथ से लिखा हुआ है प्रिन्टेड नहीं हैं। पंचायत के रेकर्ड में नीलामी की कार्यवाही की कोई बात नहीं आई है। पुराने नियमों में अनुमोदन के प्रावधान थे, अनुमोदन नहीं करवाया गया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया एवं ग्राम पंचायत शेरगढ़ से प्राप्त मूल पट्टा बही, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, रोकड़ पुस्तिका 1.4.81 से 30.6.82 का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी संख्या 1 विशनाराम पुत्र स्वरूपाराम निवासी दर्जियों का बास शेरगढ़ को ग्राम पंचायम शेरगढ़ द्वारा मिसल संख्या 57 दिनांक 11.7.81 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया। उस समय विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार ग्राम शेरगढ़ के खसरा नं0 758 रकबा 1093.18 बीघा भूमि किस्म गै0 मु0 ओरण दर्ज थी। जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश क्रंमाक प12(3–)राज/आवंटन/2002/28186 दिनांक 30.10.2002 के द्वारा ग्राम पंचायत को आबादी भूमि हेतु आवंटन की गई लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत ने वर्ष 1981 में विक्रय विलेख जारी किया है जबकि उस वक्त उक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं थी।

—:आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी मिसल संख्या 57 दिनांक 11.7.81 विशनाराम पुत्र स्वरूपाराम को जारी पट्टा विलेख एतद् निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन करने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए निस्तारण करें। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत शेरगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।